

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक:-एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/

जयपुर, दिनांक 20/10/2015

63606-726

समस्त जिला कलक्टर

परिपत्र

(जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश 09.09.15 के संबंध में)

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में पत्रांक एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/54159 दिनांक 09.09.15 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त दिशा निर्देश जारी होने के पश्चात राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि उक्त दिशा निर्देशों में केवल उपखण्ड अधिकारी को जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी बनाया गया है जबकि जिलों में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (ACEM) भी उपखण्ड अधिकारी के स्तर का अधिकारी होता है तथा उपखण्ड अधिकारी के पास अत्याधिक कार्यभार होने के फलस्वरूप सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (ACEM) को भी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये विशेष परिस्थितियों में जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।

दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या D(I) एवं D (II) में वर्णित व्यवस्था के संबंध में यदि किसी आवेदक का जाति प्रमाण पत्र गुम हो जाता है, कट-फट जाता है, या खराब हो जाता है अथवा अपना नाम परिवर्तित कर लेता है, तो पुनः उसे किस आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जावे, इस संबंध में पूर्व में जारी किये गये दिशा निर्देश एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/54159 दिनांक 09.09.15 के बिन्दुओं में निम्नानुसार जोड़ा जाकर प्रविष्टि की जाती है।

बिन्दु संख्या 2 :- जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी में उपखण्ड मजिस्ट्रेट के साथ विशेष परिस्थितियों में जिला कलक्टर द्वारा सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (ACEM) को भी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकेगा।

बिन्दु संख्या 3 D (I) एवं D (II) :- जाति प्रमाण पत्र की संशोधित एवं दोहरी प्रति में निम्नानुसार प्रविष्टि की जाती है।

बिन्दु संख्या 3 D(I) क :- किसी आवेदक का जाति प्रमाण पत्र गुम हो जाने पर, कट-फट जाने या खराब हो जाने पर पुनः सक्षम अधिकारी द्वारा 3(C) (I) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार संशोधित जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

बिन्दु संख्या 3 D(II) ख :- किसी आवेदक द्वारा नाम बदलने पर अथवा अन्य त्रुटि के कारण संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उक्त बिन्दु संख्या 3(C) (I) के अनुसार प्रक्रिया अपनायी होगी।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यकता होने पर जाति प्रमाण पत्र जारी किये जावें।

(सुदर्शन सेठी) 20.10.2015
प्रमुख शासन सचिव